


पंचायत उपाखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प मीमाना

मु.स. 2024/01

-:आदेश:-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मीमाना व भूअ.नि. मीमाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली / नायब तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नाडीया तहसील बाली जिला झुंझार की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 107 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>नाडीया</u>	<u>107</u> <u>2074-77</u>	<u>लक्ष्मणपुरा</u>	<u>लखाराम पुरा</u>


 पीठासीन अधिकारी
 उपाखण्ड अधिकारी
 उपाखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बाली

कनाक - मे/2024/1-3
2 Sept 2024
 प्रतिरिति -

दिनांक - 01/01/2024

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर खालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राथी श्री लखाराम पुरा नि. नाडीया को सूचनाथ।
3. रसित पत्रावली।

4. पत्रावली मीमाना


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपाखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपाखण्ड अधिकारी
बाली